न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS
पत्रावली संख्या : 49/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री किशनसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी रेडिया खेडी तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री धुलसिंह पिता रोडसिंह राजपूत निवासी रेडियाखेडी हाल वांगरोदा तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री हीरालाल बुनकर, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
–: : निर्णय : :–

दिनांक : 24.12.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा वांगरोदा पटवार हल्का भीमल की आराजी नम्बर 957, 958, 959, 960, 961 किता 5 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 1 एवं गोरधनसिंह के नाम 1/2 हिस्सा, रतनसिंह, मिठुकुंवर, रोशनकुंवर पिता सज्जनसिंह, भंवरकुंवर पत्नी स्व. सज्जनसिंह के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सानुसार अंकित हैं। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज है परन्तु मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य अपने–अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का मौके पर बंटवाडा किया हुआ होकर सभी अपने–अपने नाम अंकित भूमि में हिस्सेनुसार भूमियों पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा मैं प्रार्थी भी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से मुझ प्रार्थी को अपने हिस्सा भूमि को और अधिक विकसित करने हेतु बैंक से ऋण आदि लेने, भूमि का विकास करने, चार दिवारी करने इत्यादि में भी काफी कठिनाई का सामना पड रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित आराजी का मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्सेनुसार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मावली द्वारा कानूनी रूप से बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।
4. मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौके पर बंटवाडा किया हुआ है और बंटवाडे अनुसार मैं प्रार्थी वर्षों से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है लेकिन विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का उपयोग उपभोग शांतिपूर्वक नहीं करने दे रहा है और आये दिन मुझ प्रार्थी से लडाई झगडा करता हैं। जबकि विपक्षी का ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। मुझ प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी सं.

1 ने मुझ प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर लडाई झगडा किया और मरने मारने पर उतारू हुआ। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हु कि विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य करने देवे, उपयोग उपभोग करने देवे, मुझ प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, लडाई झगडा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 24.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने मुझ प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य करने में, उपयोग उपभोग करने में व्यवधान उत्पन्न किया और लडाई झगडा कर मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिससे प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 24.06.2019 उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी सं. 1 प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक खेती करने, उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करें, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावे, लडाई झगडा नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर अधिवक्ता श्री हीरालाल बुनकर द्वारा जवाब नहीं देना चाहकर उभय पक्ष को पाबंद किया जाने पर सहमति जाहिर की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी प्रकरण में उभय पक्ष को पाबंद किये जाने पर सहमति जाहिर की हैं।
8. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रकरण में उभय पक्ष को पाबंद किये जाने पर सहमति जाहिर कर उभय पक्ष को पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *<u>प्रथम दृष्टया मामला–</u>* हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षी दोनों ही खातेदार हैं। वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का होकर सहखातेदार के विरूद्व लाया गया हैं। राजस्व रेकार्ड में दर्ज सभी खातेदारों को अपनी–अपनी भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा–पूरा अधिकार हैं। प्रार्थी व विपक्षी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला किसी के भी पक्ष में साबित नहीं होता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी व विपक्षी दोनो ही खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी व विपक्षी के विरूद्व निर्णित किया गया हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी व विपक्षी के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी व विपक्षी दोनो ही खातेदार हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी व विपक्षी के विरूद्व निर्णित हुए हैं। इसलिए उक्त बिन्दु भी प्रार्थी व विपक्षी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी व विपक्षी दोनों ही खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में विपक्षी सहखातेदार हैं। सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। पत्रावली में दिनांक 04.07.19 से विपक्षी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। प्रार्थी व विपक्षी दोनों ही प्रकरण में उभय पक्ष को पाबंद कराना चाह रहे हैं जबकि दोनो ही प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित होकर सामलाती हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इसलिए खातेदारों के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से पक्षकारो के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। दोनों ही पक्षों को पाबंद किया जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। प्रकरण में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी व विपक्षी के अलावा अन्य सह खातेदार भी मौजूद हैं, अगर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होती है तो सभी खातेदारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी व विपक्षी के विरूद्व निर्णित हुवे हैं। खातेदारों को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। भूमि सामलाती होने से कब्जे के तथ्य को इस प्रार्थना पत्र में निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.28 14:44:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: